संख्या- 22 /2026/1263/96-आयुष-1-2026-ई0पत्रा0-1575076

प्रेषक,

रंजन कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2026**

विषय:- 15 शैय्यायुक्त राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मौदहा जनपद हमीरपुर के भवन निर्माण हेतु अंतिम किश्त निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या-367/यू0नि0/योजना-1337/2026-27; दिनांक 08.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15 शैय्यायुक्त राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मौदहा जनपद हमीरपुर के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-8/2023/56ए0एम0/001-1575076 दिनांक 27.03.2023 द्वारा धनराशि रू0-127.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-56.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-23/2023/5488/001-1575076, दिनांक 11.09.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-56.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-112.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

2- राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सर्कुलर सं0-177/09/2022-टी०आर०क्यू दिनांक 03.08.2022 द्वारा जी०एस०टी० की गणना 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत किया गया है।

3- अत: चालू वित्तीय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत 15 शैय्यायुक्त राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मौदहा जनपद-हमीरपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु मूल लागत रू0-127.99 लाख को पुनरीक्षित करते हुए धनराशि रू0-132.33 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0-20.33 लाख अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 28-03-2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों/नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों तथा लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा निर्गत जेम पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- प्रायोजना को स्वीकृत लागत में पूर्ण कराने का दायित्व निदेशक, यूनानी सेवाएँ, उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। परियोजना को यथावश्यकता निरीक्षण करने तथा पुर्ण गुणवत्ता के साथ नियत समयावधि में पूर्ण करने का दायित्व निदेशक यूनानी सेवाएँ, उ0प्र0 का होगा।

(4)- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, यूनानी, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का होगा।निदेशक, यूनानी, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में अवमुक्त धनराशि को आवंटित/व्यय किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को किसी पोस्ट आफिस/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लागत में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। इस हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/ दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21.06.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(6)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। इस हेतु निदेशालय स्तर पर एक लेजर बनाया जायेगा, जिसको नियमित रूप से अद्यावधिक रखने का उत्तरदायित्व निदेशक, यूनानी, उ0प्र0 का होगा।

(7)- निदेशक, यूनानी/सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अवमुक्त धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(8)- प्रायोजना में प्रस्तावित की गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, यूनानी, उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में प्रस्तावित की गयी मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, यूनानी, उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(9)- प्रायोजना की उत्तरवर्ती किश्तें निर्गत किये जाने हेतु आयुष अनुभाग-2,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-461/96-आयुष-2-2019-09(बी)/2018, दिनॉक 13-03-2019 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10)- उक्त धनराशि को व्यय करने के पूर्व की जाने वाली समस्त औपचरिकताओं की पूर्ति अनिवार्यत: सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।

प्राधिकार नहीं मिल जाता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सुसंगत नियमों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,33,000 (रुपये बीस लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 033 लेखा शीर्षक 4210011100301 अनावासीय भवनों का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रंजन कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-22/2026/1263(1)/96-आयुष-1-2026, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी, हमीरपुर (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हमीरपुर (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(5) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
(8) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बजरंगी मौर्या
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है।